Result Mitra Daily Magazine

न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग

➢ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पिछले सप्ताह विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रही है।
- वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति यादव ने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान दिए, जिसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता बनाने की मांग की।
- न्यायमूर्ति यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यह देश यानि भारत बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यादव द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में दिए गए भाषण पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
- बुधवार, 11 दिसंबर तक राज्यसभा के विभिन्न विपक्षी दलों के 38 सांसदों ने याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
- उच्च सदन में इंडिया ब्लॉक के 85 सांसद हैं और अगर कानूनी रूप से आवश्यक 50 सांसद इस याचिका पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह याचिका गुरुवार यानि 12 दिसंबर को दायर की जा सकती है।

➢ महाभियोग की प्रक्रिया :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
- जबकि संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही लागू होंगे।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) कहता है कि किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से केवल दो आधारों "साबित कदाचार" और "अक्षमता" के लिए हटाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित प्रावधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को तब तक उसके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदन के संबोधन के बाद पारित राष्ट्रपति का आदेश सदनों की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित न हो।
- इसके लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम–से–कम दो तिहाई बहुमत से साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- यानि महाभियोग के पक्ष में दोनों सदनों की कुल सदस्यता के 50% से अधिक बहुमत होना अनिवार्य है।
- अगर भारतीय संसद ऐसा मत पारित कर देती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करेगा।
- महाभियोग एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसके लिए सांसदों का बहुमत और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के समर्थन की आवश्यकता होती है।

➢ प्रक्रिया :

- भारत में न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया "न्यायाधीश अधिनियम–1968" के तहत निर्धारित की गई है।
- अधिनियम की धारा–3 कहती है कि किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निचले सदन यानि लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों एवं उच्च सदन यानि राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है।
- जस्टिस यादव के मामले में लोकसभा में NCP सांसद रुहुल्लाह मेहंदी ने जबकि राज्यसभा के निर्धारित सांसद कपिल सिब्बल ने यह प्रक्रिया शुरू की है।

➢ समिति :

- न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के उपरोक्त प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव लाए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा के सभापति द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जाएगी।
- इस तीन सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- समिति के अध्यक्ष के अलावे अन्य दो सदस्यों में एक किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दूसरा अध्यक्ष की राय में "प्रतिष्ठित न्यायविद" होता है।
- तीन सदस्यों वाली यह जांच समिति आरोप तय करने के लिए जिम्मेदार होती है एवं इसके पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने, साक्ष्य मांगने और गवाहों से जिरह करने की शक्ति होती है।
- अगर महाभियोग का आधार मानसिक क्षमता के आधार पर है तो यह समिति मेडिकल परीक्षण की मांग कर सकती है।

➢ समिति के निष्कर्ष :

- जांच पूरी करने के बाद यह समिति अपने निष्कर्ष और टिप्पणियों के साथ अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपती है।
- इसके बाद समिति के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष/राज्यसभा के सभापति को रिपोर्ट सौंपते हैं, जिन्हें लोकसभा/राज्यसभा में यथाशीघ्र पेश करना होता है।
- यदि जांच समिति के रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि न्यायाधीश कदाचार या अक्षमता का दोषी नहीं है तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है।
- हालांकि जांच समिति द्वारा न्यायमूर्ति को दोषी पाए जाने की स्थिति में समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट उसी सदन द्वारा अपनाया जाता है, जिसमें इसे पेश किया गया था।
- तत्पश्चात उसी सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा न्यायाधीश को हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को एक संबोधन दिया जाता है।
- राष्ट्रपति के सहमति के साथ ही न्यायमूर्ति को उसके पद से हटा दिया जाता है।

➢ महाभियोग के अन्य उदाहरण :

- आजादी के बाद से किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के 6 प्रयास किए गए, लेकिन इनमें से एक भी सफल नहीं हो पाया।
- इन 6 मामलों में से पांच मामले वित्तीय अनियमितता एवं एक मामला यौन दुराचार का था।

➢ न्यायमूर्ति वी रामास्वामी :

- वर्ष 1993 में वित्तीय अनियमितता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी रामास्वामी पर पहले महाभियोग की कार्यवाही की गई।
- हालांकि महाभियोग का यह प्रस्ताव विफल हो गया।

➢ न्यायाधीश सौमित्र सेन :

- वर्ष 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन पर भ्रष्टाचार के आधार पर महाभियोग चलाने की मांग की गई थी।
- न्यायमूर्ति सेन पर राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था लेकिन लोकसभा में इस पर चर्चा होने से पहले ही सेन ने इस्तीफा दे दिया।
- न्यायमूर्ति सेन के इस्तीफे के साथ ही महाभियोग की कार्यवाही समाप्त हो गई।

➢ न्यायमूर्ति एस के गंगेले :

- वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस के गंगेले पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर महाभियोग चलाया गया।
- हालांकि इन आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने वर्ष 2017 में उन्हें बरी कर दिया।

➢ न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला :

- वर्ष 2015 में तत्कालीन गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी पारदीवाला पर "आरक्षण" पर की गई टिप्पणी के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई थी।
- जे बी पारदीवाला द्वारा अपने फैसलों में "आरक्षण" पर की गई टिप्पणियों को हटाने के बाद तत्कालीन राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी ने महाभियोग प्रस्ताव को गिरा दिया।
- जे बी पारदीवाला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है।

➢ न्यायाधीश सी वी नागार्जुन :

- आंध्रप्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के सी वी नागार्जुन पर वर्ष 2017 में एक दलित न्यायाधीश को प्रताड़ित करने और वित्तीय कदाचार के आरोप के आधार पर महाभियोग चलाने की मांग की गई थी।
- इस मामले में राज्यसभा सांसदों द्वारा अपने नाम वापस लेने के बाद दोनों प्रस्ताव विफल हो गए।

➢ पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा :

- वर्ष 2018 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।
- इस प्रस्ताव को प्रारंभिक चरण में ही तत्कालीन राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था।